

UPPG010031602025



न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (E.C. Act)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी- अंकिता दुबे, (एच०जे०एस०)J.O.CODE-U.P.1713

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-609/2025

राज्य उ०प्र०

----- अभियोगी

बनाम

दिनेश बहादुर सिंह सुत स्व. नवरंग सिंह-निवासी ग्राम- पटना, पोस्ट- चितवान, थाना- महेशगंज, जनपद- प्रतापगढ़।

---प्रार्थी/अभियुक्त

राज्य प्रति दिनेश बहादुर सिंह,
 मु०अ०सं०: 849/2021,
 धारा: 135 भारतीय विद्युत अधिनियम
 थाना: एंटी पारव थेफ्ट, जिला-प्रतापगढ़।

निर्णय

1. थाना-महेशगंज, जनपद-प्रतापगढ़, की पुलिस द्वारा अभियुक्त **दिनेश बहादुर सिंह** के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा-135 के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.2021 को समय अदम तहरीर अवर अभियन्ता अविनाश कुमार, प्रतापगढ़ व अन्य सहयोगी द्वारा अपने क्षेत्र में सघन काबिंग अभियान के अन्तर्गत विद्युत चोरी रोकने हेतु विद्युत चोरी नियंत्रण में प्रस्थान करके निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता दिनेश बहादुर सिंह सुत स्व. नवरंग सिंह-निवासी ग्राम- पटना, पोस्ट- चितवान, थाना- महेशगंज, जनपद- प्रतापगढ़ के परिसर को चेक किया गया, तो उपभोक्ता द्वारा अवैध रूप से नजदीकी एल 0 टी 0 लाइन से दो कोर काली केबिल को जोड़कर विद्युत का चोरी से विद्युत का उपयोग करते हुए पाया गया। संयोजन संबंधी कोई भी वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।
3. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आयी, उसके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा-135 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने अपराध करने से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।
4. अभियोजन की तरफ से साक्षी पी.डब्ल्यू-1 अश्वनी कुमार रावत, विभागीय पैरोकार पटल सहायक विद्युत वितरण खण्ड कुण्डा, प्रतापगढ़ ने सशपथ बयान किया कि कार्यालय वितरण विद्युत वितरण खण्ड कुण्डा प्रतापगढ़ के पत्रांक संख्या-06 दिनांक-01.01.2026 मु.अ.सं. 849/2021, अन्तर्गत धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम, के संबंध में अवगत कराया गया कि दिनेश बहादुर सिंह सुत स्व. नवरंग सिंह-निवासी ग्राम- पटना, पोस्ट- चितवान, थाना- महेशगंज, जनपद- प्रतापगढ़ ने विद्युत बिल राहत योजना के अन्तर्गत पंजीकरण धनराशि रुपये

8819/- एवं सम्मन शुल्क धनराशि 16,000/- तथा शेष राजस्व निर्धारण धनराशि 35275 /- दिनांक-30.12.2025 को जमा कर दिया गया है तथा प्रकरण निस्तारित करने की याचना की गयी है। जिस पर अधिशाषी अभियन्ता राजेश कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। जिसका मिलान मेरे द्वारा विभागीय अभिलेखों से किया गया जो सही पाया गया। जिस पर **प्रदर्श क-01** डाला गया। अपराध के सापेक्ष कोई बकाय नहीं है।

5. अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का पृष्ठांकन किया गया है।

5 ए. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर, अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि रंजिशन झूठा फंसाया गया है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6 ए. अभियुक्त द्वारा मौखिक सफाई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। अश्वनी कुमार रावत, विभागीय पैरोकार पटल सहायक विद्युत वितरण खण्ड कुण्डा, प्रतापगढ़ ने सशपथ बयान किया कि कार्यालय वितरण विद्युत वितरण खण्ड कुण्डा प्रतापगढ़ के पत्रांक संख्या-06 दिनांक-01.01.2026 मु.अ.सं. 849/2021, अन्तर्गत धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम, के संबंध में अवगत कराया गया कि दिनेश बहादुर सिंह सुत स्व. नवरंग सिंह-निवासी ग्राम- पटना, पोस्ट- चितवान, थाना- महेशगंज, जनपद- प्रतापगढ़ ने विद्युत बिल राहत योजना के अन्तर्गत पंजीकरण धनराशि रुपये 8819/- एवं सम्मन शुल्क धनराशि 16,000/- तथा शेष राजस्व निर्धारण धनराशि 35275 /- दिनांक-30.12.2025 को जमा कर दिया गया है। अपराध के सापेक्ष कोई बकाय नहीं है। उपरोक्त अभिलेखों को सम्बन्धित पी0 डब्लू0 1 द्वारा प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है।

7. समन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही धारा-152 विद्युत अधिनियम के अनुसार द०प्र०सं० की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्त के समतुल्य समझा जायेगा।

8. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **दिनेश बहादुर सिंह** को धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

9. अभियुक्त **दिनेश बहादुर सिंह** को सेशन केस नं०-609/2025, मु०अ०सं०: 849/2021, धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना महेशगंज, जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. प्रश्नगत मामले में यदि कोई माल मुकदमाती है तो माल मुकदमाती मियाद अपील राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाए, जिसे राज्य सरकार विधिनुसार निस्तारित करे।
11. प्रश्नगत मामले में संबंधित विभाग का यदि कोई विद्युत देय/बकाया है तो संबंधित विभाग नियमानुसार देय/बकाया धनराशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। इस निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
12. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अन्तर्गत धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू अविलम्ब दाखिल करें, जिनकी वैधता मियाद अपील अथवा अपील दाखिल करने तक प्रभावी रहेगी।

दिनांक: 08.06.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)
प्रतापगढ़।

13. आज मेरे द्वारा उपरोक्त निर्णय एवं आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 08.06.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)
प्रतापगढ़।